



**Office of the District Basic Education Officer
PRATAPGARH**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **BACHAI SINGH SHIKSHAN SANSTHAN, PHULWARI KATRA ROAD PRATAPGARH UP** is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8). The Recognition number allotted to BACHAI SINGH SHIKSHAN SANSTHAN is **285763**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	<u>06-06-2023</u> (DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4. School Type	Pre-Primary, Primary and Junior School
5. Recognition No.	285763

DATE:- 06-06-2023

PLACE:- PRATAPGARH

District Basic Education Officer

Signature valid

Digitally signed by District Basic Education Officer
Date: 2023.06.06 16:41:31
Reason: For Digital Signature
Location: PRATAPGARH



[Handwritten signature]

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prrnaup.in

[Handwritten signature]
MANAGER

Bachai Singh Shikshan Sansthan
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़

पत्रांक / मान्यता /
प्रबन्धक,

2057-63

/2017-18 दिनांक 03/05/17

बचई सिंह शिक्षण संस्थान फुलवारी कटरा रोड
प्रतापगढ़।

विषय:—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आप के आवेदन पत्र दिनांकित 26-08-2016 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्व पत्रांक / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं बचई सिंह शिक्षण संस्थान फुलवारी कटरा रोड प्रतापगढ़ को तारीख 01-04-2017 तारीख 31-03-2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:—

- 1- मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता, विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैसों 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा, संतूर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 18 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—

कुल निर्मित क्षेत्र—

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल—

110800 वर्ग फीट
5000 वर्ग फीट
35000 वर्ग फीट

MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sanstha
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (J.P.)



कक्षाओं की संख्या-

प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भाडागार के लिये कक्ष-

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय-

पर्यजल सुविधा-

मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई-

बाधा रहित प्रहुच

10

03

६

६

—

६

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाए जाएगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक E-0193 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यवाही के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, मान्यता सम्बंधी शर्तों के संतुलन अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कनियों को करने के लिये जारी किए जाए।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- विभागीय आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने के अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- 18- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(बी०एन०सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रतापगढ़

/2017-18 दिनांक उक्तवत,

पृ०सं०/मान्यता/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

2-सचिव, उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

3-सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़।

5-खण्ड शिक्षा अधिकारी सदर प्रतापगढ़।

6-कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु।



(Handwritten signature)

(बी०एन०सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रतापगढ़

MANAGER

Bachai Singh Sikshan
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh